[2018] 3 एस. सी. आर 391

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

वी.

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड। & एएनआर।

(2015 की सिविल अपील संख्या 13578)

अप्रैल 17,2018

[अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:

एसएस। 6 (2) और 43 ए-दंड का अधिरोपण यू / s.43A प्रावधान का पालन न करने के लिए धारा 6 (2)-तीनों का स्वामित्व प्रत्यर्थी कंपनियों ने विलय/समामेलन के बारे में निर्णय लिया शेयर सदस्यता समझौता (एसएसए), शेयर खरीद समझौता (एसपीए), खुला प्रस्ताव और बाजार खरीद भी लेनदेन का हिस्सा थे-उत्तरदाताओं ने यू/एस को नोटिस भेजा। 6 (2) अपीलार्थी आयोग को केवल 'विलयन' और 'समामेलन' को अधिसूचित करना और अन्य लेन-देनों को नहीं, हालांकि, अन्य लेन-देनों का खुलासा किया गया था

यू/एस छूट का दावा करते समय। 5 - अपीलार्थी-आयोग ने जुर्माना लगाया रुपये का s.43A। एस के संदर्भ में अन्य लेनदेन को अधिसूचित नहीं करने के लिए एक करोड़। 6 (2) - प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयोग के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः इन सभी

लेन-देन एक ही लेन-देन का हिस्सा थे-सभी लेन-देन आंतरिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं और व्यावसायिक लेन-देन का एक व्यवहार्य हिस्सा हैं-2011 का विनियम 94 व्यवसाय की संभावना को स्वीकार करता है।

लेन-देन का परस्पर जुड़ा होना या इस तरह के लेन-देन के परस्पर निर्भर कदम-दो अलग-अलग चरणों की तकनीकी व्याख्या

आयोग को नोटिस देने से पहले एक समग्र संयोजन द्वारा समाप्ति को सक्षम करने के लिए विनियमन 9 (4) की व्याख्या नहीं की जा सकती है-अंतिम वस्तुनिष्ठ परीक्षण को भी लागू करने से, यह स्पष्ट है कि बाजार खरीद उस योजना को ध्यान में रखते हुए की गई थी जिसे तैयार किया गया था-दंड के उद्ग्रहण के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में पुरुष कारण या जानबूझकर उल्लंघन की कोई आवश्यकता नहीं थी। 43 ए-आपराधिक और अर्ध आपराधिक दायित्व के मामले में पुरुष अधिकार महत्वपूर्ण है-दंड यू/एस। 43 ए एक नागरिक दायित्व के उल्लंघन के कारण है और कार्यवाही न तो आपराधिक है और न ही अर्ध।

आपराधिक-दंड का अधिरोपण यू / आयोग द्वारा s.43A था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायसंगत और उचित-भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (भारत में प्रक्रिया)

संयोजन से संबंधित व्यवसाय के लेन-देन के संबंध में) विनियम, 2011-विनियम 9 (4)।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. एक बार जब कोई विशेष लेन-देन या लेन-देन की एक श्रृंखला संयोजन यू/एस के दायरे में आती है। 5 , प्रतिस्पर्धा आयोग को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 6 के तहत। धारा 6 (1) उन संयोजनों को प्रतिबंधित करती है जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं या पैदा करने की संभावना रखते हैं और ऐसा संयोजन अमान्य होगा। अधिनियम की धारा 6 (2) की अपेक्षा है कि संयोजन में प्रवेश करने के प्रस्ताव के बारे में अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए और इसे विलय या समामेलन, किसी समझौते के निष्पादन या अन्य दस्तावेज या अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव के अनुमोदन के 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए।

धारा 5 (क) में निर्दिष्ट। धारा 6 (2) यह स्पष्ट करती है कि कोई भी संयोजन 210 दिन बीतने तक प्रभावी नहीं होगा।

जिस तारीख से आयोग को धारा 6 (2) के तहत नोटिस दिया गया है और आयोग ने धारा 30 (1) के तहत आदेश पारित किए हैं, जो भी पहले हो। और एक बार धारा 6 (2) के तहत अनिवार्य सूचना दिए जाने के बाद, आयोग को धारा 29,30 और 31 में निहित प्रावधानों के अनुसार इससे निपटना होगा। सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, विदेशी निवेश संस्थानों, बैंकों या सार्वजनिक संस्थानों के संबंध में कुछ अपवाद बनाए गए हैं।

अधिनियम की धारा 6 (4) के तहत उद्यम निधि आदि निधियाँ। [पैरा 19] [403-ए-सी]

2. प्रतिस्पर्धा अधिनियम और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (व्यवसाय के लेन-देन के संबंध में प्रक्रिया) संयोजनों से संबंधित) विनियम, 2011 में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि संयोजन में एक या अधिक लेनदेन शामिल हो सकते हैं। विनियम, 2011 के विनियम 9 (4) के तहत, पक्षों के पास या तो एक नोटिस या कई नोटिस देने का विकल्प है।

सभी लेन-देन का सम्मान करें। [पैरा 22] [404-बी]

3. वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि अधिसूचना में

14.2.2014 पर धारा 6 (2) के तहत किए गए अधिसूचित लेनदेन को विलय और समामेलन के संबंध में दिखाया गया था। यह भी उल्लेख किया गया कि पार्टियों ने अधिसूचित लेनदेन को देखते हुए कुछ अन्य लेनदेन पर भी विचार किया है, वे इक्विटी शेयरों की सदस्यता, एस. पी. ए., खुला प्रस्ताव और बाजार खरीद थे।

यह भारत का क्रिस्टल प्रतिस्पर्धा आयोग v है। थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड। & एएनआर।

उपरोक्त आवेदन से ही स्पष्ट करें कि ये सभी लेनदेन एक ही लेनदेन का हिस्सा थे और 14.2.2014 पर बाजार से खरीद के लेनदेन को सूचित करने से पहले भी, यह 10.2.2014 से 12.2.2014 के बीच पूरा किया गया था। यह स्पष्ट है कि बाजार में खरीद समग्र संयोजन का हिस्सा होने के नाते आयोग को नोटिस देने से पहले पूरी की गई थी। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 7.2.2014 ने स्पष्ट रूप से एसपीए को एक खुले प्रस्ताव के रूप में इंगित किया। संबंधित पक्षों के निदेशक मंडल ने उसी दिन बाजार खरीद को अधिकृत किया। सभी कथित लेन-देन आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक व्यवहार्य व्यावसायिक लेन-देन का हिस्सा हैं। [पैरा 26] [405-एच; 406-ए-सी]

4. हालांकि यह पक्षों के लिए एक विशेष तरीके से अपने लेनदेन की संरचना करने के लिए खुला है, लेनदेन का सार प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव का आकलन करने के लिए अधिक प्रासंगिक होगा, भले ही इस तरह के लेनदेन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं।

एक या अधिक चरण/लेनदेन। लेन-देन की संरचना की अनुमति इस तरह से नहीं दी जा सकती है ताकि अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन से बचा जा सके। अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह विचार करने के लिए खुला है कि क्या विशेष कदम एक व्यक्तिगत लेनदेन था या पूरे लेनदेन का हिस्सा था। यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में स्पष्ट था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने किसी एक लेनदेन के अभाव में बाजार में खरीदारी नहीं की होगी। इस प्रकार, बाजार की खरीद को स्वतंत्र लेनदेन नहीं कहा जा सकता था। [पैरा 28] [406-जी-एच; 407-ए-बी]

लेन-देन। एक समग्र संयोजन के लेन-देन के दो अलग-अलग चरणों को अलग करने के लिए तकनीकी व्याख्या अधिनियम की भावना और प्रावधान के खिलाफ होगी। बाजार में खरीदारी नहीं हुई। स्वतंत्र और किसी भी छूट के उद्देश्य से अलगाव में उपयोग नहीं किया जा सकता है। विनियमन 9 (4) की व्याख्या सक्षम करने के लिए नहीं की जा सकती है।

आयोग को सूचना देने से पहले एक समग्र संयोजन द्वारा समाप्ति। यह अधिनियम के इरादे और उद्देश्य को और विशेष रूप से इसकी धारा 5 और 6 को विफल कर देगा। [पैरा

6. यदि अंतिम वस्तुनिष्ठ परीक्षण लागू किया जाता है, तो यह स्पष्ट है

कि बाजार खरीद उस योजना को ध्यान में रखते हुए की गई थी जिसे तैयार किया गया था। इस प्रकार बाद में कानून में परिवर्तन भी लेन-देन के सार को देखते हुए उत्तरदाताओं के बचाव में नहीं आया। बाजार की खरीद संयोजन के एक ही लेनदेन का हिस्सा थी। [पैरा 31] [407-जी]

7. यह कहना सही नहीं है कि कोई दुर्भावना नहीं थी।

प्रत्यर्थी की ओर से इस तरह का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था। आपराधिक और अर्ध आपराधिक दायित्व के मामले में पुरुष अधिकार महत्वपूर्ण माना जाता है। के तहत जुर्माना लगाने के लिए

धारा 43 ए, सिविल कानून के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होने की स्थिति में कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकती है, इसके उल्लंघन पर जुर्माना सरलता से लगाया जाता है। जुर्माना लगाने की अनुमति थी और यह उचित रूप से लगाया गया था। वहाँ कोई नहीं था।

धारा 43 ए के तहत पुरुष अधिकार की आवश्यकता या जुर्माना लगाने के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में जानबूझकर उल्लंघन। अधिनियम की धारा 43 ए जुर्माना लगाने के उद्देश्य से "विफलता जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण होनी चाहिए" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करती है। प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय है और उल्लंघन की प्रकृति को देखते हुए, यह जुर्माना लगाने के लिए खुला है। धारा 43 ए के तहत जुर्माना एक नागरिक दायित्व के उल्लंघन के कारण लगाया जाता है, और कार्यवाही न तो आपराधिक होती है और न ही अर्ध-आपराधिक; दंड का पालन करना पड़ता है। धारा 43 ए के तहत प्रावधान में केवल विवेकाधिकार दंड की मात्रा के संबंध में है। [पारस 32,33] [407-एच; 408 ए-सी; 409-बी]

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आदेश

आयोग द्वारा पारित किया जाना न्यायसंगत और उचित था और कानून के अनुसार था, जिसे न्यायाधिकरण ने गलत आधार पर अलग कर दिया था। इस प्रकार,

न्यायाधिकरण के आदेश को कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है। तत्काल मामले में लगाए गए मामूली दंड में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। [पारस 34,35] [409-सी; 409-डी]

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य ए. आई. आर. 1970 एससी

253 [1970] 1 एससीआर 753-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[1970] 1 एससीआर 753

उस पर भरोसा करें

पैरा 32

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 13578

2015 से।

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग v. थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड। & एएनआर।

2014 के अपील सं. 48 में अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ओ. एम. पी. ए. टी.) के दिनांक 26.08.2015 के निर्णय और आदेश से।

सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अर्जुन कृष्णन, अंकुर सिंह, सुमित श्रीवास्तव, अर्पित शुक्ला, सुश्री गीतांजलि कपूर, सुश्री अलीशा पांडा, अभय कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

रामजी श्रीनिवासन, गोपाल सुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , समीर गांधी, सुश्री रूपाली सिंह, अक्षत कुलश्रेष्ठ, सुश्री अनुजा अग्रवाल, सुश्री सिमरान भट, राहुल सत्यन, तुषार भारद्वाज, नवीन हेगड़े, मयंक पांडे, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे. 1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

(संक्षेप में, "आयोग") प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, "न्यायाधिकरण") द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 43ए (संक्षेप में, "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसके तहत धारा 6 (2) में निहित प्रावधानों का पालन न करने के आधार पर उत्तरदाताओं पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

अधिनियम से।

लिमिटेड, जो बाहर जाने वाले यात्रियों को बीमा बेचने के साथ-साथ स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आदि के व्यवसाय में लगी हुई है। एस. एच. आर. आई. एल. प्रीमियम होटल सेवाएं, अवकाश स्वामित्व सेवाएं, सामान्य होटल सेवाएं जैसे कमरे किराए पर लेना, रेस्तरां, अवकाश गतिविधियों आदि प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। यह अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों की भी व्यवस्था करता है। उपरोक्त तीन कंपनियों के निदेशक मंडल ने 7.2.2014 पर विलयन/समामेलन के लिए एक योजना को मंजूरी दी, (जिसे 'योजना' के रूप में संदर्भित किया जाता है)। उक्त योजना में निम्नलिखित पर विचार किया गयाः (क) विलयः यानी एस. एच. आर. आई. एल. के रिसॉर्ट्स और टाइमशेयर व्यवसाय को [2018] 3 एस. सी. आर. के बदले एस. एच. आर. आई. एल. से टी. सी. आई. एस. आई. एल. में अलग करके स्थानांतरित किया जाना था।

'योजना' में अनुपात के अनुसार एस. एच. आर. आई. एल. के शेयरधारकों को टी. सी. आई. एल. के कौन से इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे; और

(ख) विलयनः एस. एच. आर. आई. एल. को अपने अवशिष्ट व्यवसाय के साथ टी. सी. आई. एल. में समामेलित किया जाएगा, जिसके बदले में उसे इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे।

योजना में अनुपात के अनुसार एस. एच. आर. आई. एल. के शेयरधारक। 3. उपरोक्त लेन-देनों को लागू करने के उद्देश्य से, उत्तरदाताओं ने एक विलय सहयोग समझौता किया (संक्षेप में,

' एम. सी. ए. ') उसी दिन यानी 07.2.2014 पर।

4. उसी दिन यानी 07.2.2014, उत्तरदाताओं के निदेशक मंडल के एक अन्य प्रस्ताव द्वारा, निम्नलिखित लेनदेन

अनुमोदित और निष्पादित किए गए -

(i) शेयर सदस्यता समझौता (एसएसए): टी. सी. आई. एस. आई. एल. को तरजीही आवंटन के अनुसार एस. एच. आर. आई. एल. के 1,000 शेयरों की सदस्यता लेनी थी।

(पूरी तरह से कमजोर आधार पर एस. एच. आर. आई. एल. की इक्विटी शेयर पूंजी के एस. एच. आर. आई. एल. का 22.86%); ((ii) शेयर खरीद समझौता (एस. पी. ए.): टी. सी. आई. एस. आई. एल. को एस. एच. आर. आई. एल. के कुछ मौजूदा शेयरधारकों और प्रवर्तकों से पूरी तरह से कमजोर आधार पर एस. एच. आर. आई. एल. की इक्विटी शेयर पूंजी का 19.94% अधिग्रहण करना था।

(iii) टी. सी. आई. एल. और टी. सी. आई. एस. आई. एल. द्वारा एस. एच. आर. आई. एल. के सार्वजनिक शेयरधारकों से इक्विटी शेयर पूंजी का 26 प्रतिशत खरीदने के लिए खुला प्रस्ताव, एस. ई. बी. आई. (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 (संक्षेप में, "एस. ई. बी. आई. के विनियम") के संदर्भ में।

6. 14.2.2014 पर, प्रत्यर्थियों ने अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत अपीलकर्ता-आयोग को एक नोटिस भेजा, जिसमें केवल 'विलयन' को अधिसूचित किया गया था। और 'एकीकरण'। हालाँकि, अधिनियम की धारा 5 से छूट का दावा करते हुए अन्य लेनदेन का खुलासा किया गया था।

7. आई. डी. 1 पर आयोग ने प्रत्यर्थियों से अपने आवेदन में कुछ खामियों को दूर करने और अन्य बातों के साथ-साथ इस बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा कि क्या अधिसूचित और गैर-अधिसूचित लेनदेन आपस में संबंधित थे।

(इंडिया) लिमिटेड। & एएनआर। [अरुण मिश्रा, जे।]

8. 5.3.2014 पर, आयोग ने अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत एक अनुमोदन आदेश पारित किया। हालांकि, इसने कहा कि यह अलग-अलग कार्यवाहियों में जुर्माना लगाने के लिए अधिनियम की धारा 43 (ए) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा।

9. आई. डी. 1 पर आयोग ने उत्तरदाताओं से पूछा कि अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत 'बाजार खरीद' को अधिसूचित करने में विफल रहने के लिए उन्हें धारा 43 ए के तहत दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

10. 25.3.2014 पर, उत्तरदाताओं ने कारण बताए जाने पर अपना जवाब दाखिल किया। उत्तरदाताओं को सुनने के बाद, 21.5.2014 पर, आयोग ने

अधिनियम की धारा 43 ए के तहत एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके विपरीत अपील को प्राथमिकता दी गई। न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 53 बी के तहत दायर अपील को स्वीकार कर लिया है और आयोग द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है। इससे व्यथित होकर आयोग ने अधिनियम की धारा 53 बी के तहत अपील की है।

11. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह आग्रह किया कि 7.2.2014 पर, तीनों के निदेशक मंडल

अधिसूचना एस. ओ. 482 (ई), दिनांक 4.3.2011, इस आधार पर कि जिस कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया गया है उसका कारोबार यानी एस. एच. आर. आई. एल. ने नहीं किया है। 1 करोड़/- करोड़ से अधिक का भुगतान किया है जबकि अन्य लेनदेन केवल प्रस्ताव/समझौते के स्तर पर थे। लेन-देन 6 (बाजार खरीद) 14.2.2014 पर अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत नोटिस दाखिल करने से पहले ही पूरा हो चुका है। इस प्रकार आयोग ने उचित रूप से यह विचार रखा है कि उपरोक्त सभी लेन-देन परस्पर जुड़े लेन-देन या समान अंतिम प्रभाव [2018] 3 एस. सी. आर. वाले कदम हैं।

एकल समग्र संयोजन का हिस्सा थे, इसलिए, उक्त संयोजन के हिस्से की गैर-अधिसूचना, विशेष रूप से, बाजार खरीद का उपभोग अधिनियम का उल्लंघन था। इस प्रकार, आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 43 ए के तहत एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 12. यह भी आग्रह किया गया कि न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि लेन-देन एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे। न्यायाधिकरण ने भी गलती की

यह मानते हुए कि बाजार खरीद छूट अधिसूचना यानी एस. ओ. 482 (ई) के दायरे में आती है। न्यायाधिकरण ने संयोजन के रूप में मुद्दे की सही पहचान नहीं करते हुए एक बड़ी गलती की है। द.

स्पष्ट रूप से संयोजन एक समग्र था, जिसमें लेन-देन/चरणों की पूरी श्रृंखला शामिल थी, न कि एकल आधार पर कोई एक लेनदेन। उत्तरदाताओं पर पूरे संयोजन को सूचित करने में विफलता और अधिसूचित करके नियामक जांच से बचने के लिए जुर्माना लगाया गया था

केवल उसका एक हिस्सा। भले ही बाजार की खरीद को छूट कहा जा सकता है, अगर अलग से लिया जाए, तो पूरे समग्र संयोजन को कभी भी छूट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसे पूरी तरह से धारा 6 (2) के संदर्भ में अधिसूचित किया जाना था। उल्लंघन विशुद्ध रूप से तकनीकी नहीं थे, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। 13. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 5 विशेष रूप से संयोजन को परिभाषित करती है

परिसंपत्ति और कारोबार सीमा प्रदान करने की शर्तें, यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि उद्यमों या उद्यम के समूहों के बीच एक निर्दिष्ट महत्वपूर्ण आकार से ऊपर के एकमात्र लेनदेन की आयोग द्वारा जांच की जाती है, क्योंकि इन लेनदेनों का एक मापने योग्य बाजार प्रभाव या संबंधित बाजार में एक ए. ए. ई. सी. कारक होने की अधिक संभावना है, इसलिए, आयोग द्वारा पूर्व-निर्धारित और सही किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। यह आगे तर्क दिया गया कि एक लक्ष्य आधारित छूट कुछ लेनदेन से छूट देती है

अधिनियम की धारा 5 के तहत परिभाषित 'संयोजन' शब्द की परिधि। निगमित कार्य मंत्रालय की अधिसूचना एस. ओ. 482 (ई) दिनांक के तहत

4.3.2011 , कुछ लेन-देन ('अधिग्रहण' की प्रकृति में) को आयोग को अनिवार्य रूप से सूचित करने की आवश्यकता से छूट दी गई है। अगर

लक्षित उद्यम की परिसंपत्तियों या कारोबार का मूल्य एक निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से अधिक नहीं है, जो लेनदेन लक्ष्य आधारित छूट के तहत अर्हता प्राप्त करता है, उसे अधिनियम की धारा 5 के तहत "संयोजन" के दायरे से छूट दी गई है। इसलिए, शेयर सदस्यता समझौते (एसएसए), शेयर खरीद समझौते (एसपीए) और खुले प्रस्ताव को भारत प्रतिस्पर्धा आयोग के खाते पर लक्ष्य आधारित छूट के तहत छूट दी गई है।

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड। & एएनआर। [अरुण मिश्रा, जे।]

शेयरों का "अधिग्रहण" होने के कारण, वे लक्ष्य आधारित छूट के लिए भी पात्र हैं क्योंकि एस. एच. आर. आई. एल. का कारोबार डी. से कम था।

न्यूनतम सीमा। यह भी तर्क दिया गया कि स्टॉक एक्सचेंज पर टी. सी. आई. एस. आई. एल. द्वारा आई. डी. 1 की बाजार खरीद मुख्य विलय योजना पर परस्पर निर्भर नहीं थी। केवल इसलिए कि उन पर समकालीन रूप से विचार किया गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि सभी लेनदेन "परस्पर निर्भर" थे। उक्त 'बाजार खरीद' का किसी में भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है

विलय योजना या 7.2.2014 पर प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति। आंशिक इक्विटी, आंशिक विलय सौदे के संदर्भ का अर्थ है -

विद्वान वकील ने आगे बताया कि 28 मार्च, 2014 से कानून में बदलाव हुआ है, लेकिन दंड आदेश पारित करने से पहले आयोग ने संयोजन विनियमों में एक नया प्रावधान पेश किया। विनियम 9 (5) जो यह प्रावधान करता है कि सूचना दाखिल करने की आवश्यकता लेन-देन के सार के संबंध में निर्धारित की जाएगी और लेन-देन (ओं) की कोई भी संरचना जिसमें एक संयोजन शामिल है जो पूरे या संयोजन के हिस्से के संबंध में सूचना से बचने का प्रभाव रखता है, की अवहेलना की जाएगी। इस प्रकार, यह आयोग का दायित्व था कि वह लेन-देन के सार पर गौर करे। 14. अंत में, यह तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं की ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी। आयोग को दी गई अधिसूचना

14.2.2014 पर उत्तरदाताओं ने बाजार के बारे में जानकारी दी

"छूट लेनदेन" शीर्षक के तहत इस आधार पर खरीदारी की जाती है कि लक्ष्य आधारित छूट में बाजार की खरीद शामिल होती है। इस प्रकार, बाजार खरीद की विशेष रूप से पहचान नहीं करने के लिए उत्तरदाताओं पर जुर्माना लगाना "अधिसूचित लेनदेन" का हिस्सा रहा है जो कुछ भी नहीं है [2018] 3 एस. सी. आर.

केवल एक तकनीकी से अधिक। प्रत्यर्थी एक प्रामाणिक और वास्तविक विश्वास के तहत था कि बाजार की खरीद असंबद्ध थी और इसके अलावा, छूट थी। इसके अलावा, किसी भी दुर्भावना को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है

उत्तरदाताओं ने आयोग द्वारा 21.05.2014 पर पारित दंड आदेश में भी और जब आयोग ने अनुमोदन आदेश पारित किया था

6.5.2014 और यह पाया कि बाजार की खरीद से बाजार में प्रतिस्पर्धा पर कोई सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयोग द्वारा जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए था। न्यायाधिकरण ने ठीक ही इसे दरकिनार कर दिया है।

15. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह है

अधिनियम के वैधानिक ढांचे को नोट करना आवश्यक है। धारा 5

अधिनियम अधिनियम के उद्देश्यों के लिए संयोजन को परिभाषित करता है। धारा 5 यहाँ नीचे निकाली गई है।

" 5. एक या एक से अधिक उद्यमों का अधिग्रहण

व्यक्ति या उद्यमों का विलय या समामेलन एक होगा

ऐसे उद्यमों और व्यक्तियों या उद्यमों का संयोजन, यदि

(क) कोई भी अधिग्रहण जहाँ

((i) अधिग्रहण के पक्षकार, जो अधिग्रहणकर्ता और उद्यम हैं, जिनका नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या परिसंपत्तियाँ हैं। अर्जित किया गया है या संयुक्त रूप से अधिग्रहित किया जा रहा है -

(ए) या तो, भारत में, से अधिक के मूल्य की परिसंपत्तियाँ

एक हजार करोड़ रुपये या तीन रुपये से अधिक का कारोबार

हजार करोड़; या

((ख) [भारत में या भारत के बाहर, कुल मिलाकर,

पाँच सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का मूल्य, जिसमें शामिल हैं

भारत में कम से कम पाँच सौ करोड़ रुपये, या उससे अधिक का कारोबार

पंद्रह सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें कम से कम पंद्रह रुपये शामिल हैं।

भारत में सौ करोड़; या]

((ख) वह समूह जिसका उद्यम नियंत्रण करता है,

शेयरों, परिसंपत्तियों या मतदान के अधिकारों का अधिग्रहण किया गया है या किया जा रहा है

अर्जित किया गया, अधिग्रहण के बाद संबंधित होगा, संयुक्त रूप से होगा या होगा

संयुक्त रूप से,

(ए) या तो भारत में, से अधिक के मूल्य की परिसंपत्तियाँ

चार हजार करोड़ रुपये या बारह रुपये से अधिक का कारोबार

1000 करोड़; या भारत का सांसद आयोग v. थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड। & एएनआर। [अरुण मिश्रा, जे।]

(बी) [भारत में या भारत के बाहर, कुल मिलाकर, दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति, जिसमें कम से कम

भारत में पाँच सौ करोड़ रुपये, या छह से अधिक का कारोबार

भारत में कम से कम पंद्रह सौ करोड़ रुपये सहित अरबों अमेरिकी डॉलर; या]

(ख) किसी उद्यम पर किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रण प्राप्त करना जब ऐसा व्यक्ति पहले से ही समान या समान या प्रतिस्थापन योग्य वस्तुओं के उत्पादन, वितरण या व्यापार में लगे किसी अन्य उद्यम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है या समान या समान या प्रतिस्थापन योग्य सेवा का प्रावधान करता है, यदि -

((i) वह उद्यम जिस पर नियंत्रण अर्जित किया गया है और साथ ही वह उद्यम जिस पर अधिग्रहणकर्ता के पास पहले से ही नियंत्रण है।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण संयुक्त रूप से है,

(ख) [भारत में या भारत के बाहर, कुल मिलाकर, पचास करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियाँ, जिनमें शामिल हैं भारत में कम से कम पाँच सौ करोड़ रुपये, या पंद्रह सौ करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का कारोबार, जिसमें भारत में कम से कम पंद्रह सौ करोड़ रुपये शामिल हैं; या

((ii) वह समूह जिसका नियंत्रण किस उद्यम के पास है।

(ए) या तो भारत में, चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति या बारह रुपये से अधिक का कारोबार। एक हजार करोड़ या

(बी) [भारत में या भारत के बाहर, कुल मिलाकर, दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति, जिसमें कम से कम

भारत में पाँच सौ करोड़ रुपये, या छह अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का कारोबार, जिसमें भारत में कम से कम पंद्रह सौ करोड़ रुपये शामिल हैं; या

((ग) कोई विलय या समामेलन जिसमें

(i) विलय के बाद शेष उद्यम या समामेलन के परिणामस्वरूप बनाया गया उद्यम, जैसा भी मामला हो,

है,

(ए) या तो भारत में, से अधिक के मूल्य की परिसंपत्तियाँ

एक हजार करोड़ रुपये या तीन रुपये से अधिक का कारोबार

हजार करोड़; या

((ख) [भारत में या भारत के बाहर, कुल मिलाकर,

पाँच सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का मूल्य, जिसमें शामिल हैं

भारत में कम से कम पाँच सौ करोड़ रुपये, या उससे अधिक का कारोबार

पंद्रह सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें कम से कम पंद्रह रुपये शामिल हैं। भारत में सौ करोड़; या]

((ख) वह समूह जिसके साथ विलय के बाद शेष उद्यम या एकीकरण के परिणामस्वरूप बनाया गया उद्यम,

जैसा भी मामला हो, विलय या समामेलन के बाद संबंधित होगा।

हो सकता है, हो सकता है या होगा,

(ए) या तो भारत में, से अधिक के मूल्य की परिसंपत्तियाँ

चार-हजार करोड़ रुपये या बारह रुपये से अधिक का कारोबार।

हजार करोड़; या

((ख) [भारत में या भारत के बाहर, कुल मिलाकर,

दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का मूल्य, जिसमें कम से कम भारत में पाँच सौ करोड़ रुपये, या छह से अधिक का कारोबार

कम से कम पंद्रह सौ करोड़ रुपये सहित अरबों अमेरिकी डॉलर

भारत में "

16. धारा 5 (ए) के तहत, एक संयोजन का गठन तब किया जाता है जब एक व्यक्ति या उद्यम द्वारा नियंत्रण, शेयरों, मतदान अधिकारों या परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया जाता है।

एक अन्य व्यक्ति या उद्यम जो कुछ सीमा की आवश्यकता के अधीन है जो न्यूनतम परिसंपत्ति मूल्यांकन या भारत के भीतर या बाहर भुगतान है।

17. अधिनियम की धारा 5 (बी) के तहत संयोजन का गठन तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति द्वारा उद्यम पर नियंत्रण का अधिग्रहण किया जाता है जब ऐसे व्यक्ति के पास समान या समान या प्रतिस्थापन योग्य वस्तु के उत्पादन, वितरण या भुगतान में लगे किसी अन्य उद्यम पर पहले से ही अर्जित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण, बशर्ते कि संपत्ति या कारोबार के संदर्भ में धारा 5 (बी) में प्रदान की गई आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

18. धारा 5 (सी) के तहत विलय और समामेलन भी इसके अंतर्गत आते हैं।

संयोजन का दायरा। विलय के बाद शेष उद्यम या

परिसंपत्तियों या कारोबार के संदर्भ में न्यूनतम सीमा आवश्यकता के अधीन समामेलन धारा 5 (सी) के दायरे में आता है।

19. एक बार जब कोई विशेष लेनदेन या लेनदेन की एक श्रृंखला गिर जाती है

संयोजन के दायरे में, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को इसकी सूचना देना अनिवार्य है।

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड। & एएनआर। [अरुण मिश्रा, जे।]

धारा 6 (2) यह स्पष्ट करती है कि कोई भी संयोजन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि धारा 6 (2) के तहत आयोग को नोटिस दिए जाने की तारीख से 210 दिन बीत नहीं जाते हैं और आयोग ने धारा 30 (1) के तहत आदेश पारित कर दिए हैं, जो भी पहले हो। और एक बार धारा 6 (2) के तहत अनिवार्य सूचना दिए जाने के बाद, आयोग को धारा 29,30 और 31 में निहित प्रावधानों के अनुसार इससे निपटना होगा। अधिनियम की धारा 6 (4) के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, विदेशी निवेश संस्थानों, बैंकों या सार्वजनिक उद्यम निधियों आदि निधियों के संबंध में कुछ अपवाद बनाए गए हैं। 20. 4.3.2011 पर, केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 54 (ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. सो. 482 ई दिनांकित 4.3.2011, जिसे आमतौर पर लक्ष्य-आधारित छूट के रूप में जाना जाता है, जो निम्नानुसार हैः

" प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार जनहित में ऐसे उद्यम को छूट देती है, जिसका नियंत्रण -

जिन शेयरों, मतदान अधिकारों या परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनकी संपत्ति भारत में 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है या भारत में 750 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार नहीं है।

5 वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5।

21. अधिनियम की धारा 64 आयोग को शक्ति प्रदान करती है -

नियम बनाएँ। धारा 64 (3) के तहत विनियमों को संसद के सदनों के समक्ष रखा जाना है। आई. डी. 1 पर आयोग ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन से संबंधित व्यवसाय के लेन-देन के संबंध में प्रक्रिया) विनियम, 2011 तैयार किए।

(संक्षेप में, "विनियम, 2011")। विनियमन 9 (4) जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, निम्नानुसार हैः

9 (4) . जहाँ एक व्यावसायिक लेन-देन का अंतिम इच्छित प्रभाव चरणों की एक श्रृंखला या छोटे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

लेन-देन जो आपस में जुड़े हुए हैं या प्रत्येक [2018] एस. सी. आर. पर निर्भर हैं।

अन्य, जिनमें से एक या अधिक एक संयोजन के बराबर हो सकते हैं, इन सभी लेन-देनों को शामिल करते हुए पार्टियों द्वारा एक ही नोटिस दायर किया जा सकता है।

संयोजन में "।

22. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम और विनियम, 2011 में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि एक संयोजन में एक या अधिक शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन। विनियम, 2011 के विनियम 9 (4) के तहत, पक्षों के पास सभी लेन-देनों के संबंध में या तो एक नोटिस या कई नोटिस देने का विकल्प है। 30.5.2011 पर, अधिनियम की धारा 5 और 6 को लागू किया गया था।

23. यह स्पष्ट है कि तीन प्रत्यर्थी कंपनियों के बीच समय-हिस्सेदारी के आधार पर एस. एच. आर. आई. एल. के रिसॉर्ट का विलय हुआ। इसे टी. सी. आई. एस. आई. एल. को हस्तांतरित किया जाना था क्योंकि टी. सी. आई. एल. के इक्विटी शेयर योजना में दिए गए अनुपात के अनुसार एस. एच. आर. आई. एल. के शेयरधारकों को जारी किए जाने थे। टी. सी. आई. एल. में अपने अवशिष्ट व्यवसाय के साथ एस. एच. आर. आई. एल. का एकीकरण किया गया था। बाद में शेयर हस्तांतरण समझौता हुआ।

टी. सी. आई. एस. आई. एल. को इक्विटी शेयर पूंजी के तरजीही आवंटन के लिए एस. एच. आर. आई. एल. के 2,06,50,000 शेयरों की सदस्यता लेनी थी।

24. टी. सी. आई. एस. आई. एल. को एस. एच. आर. आई. एल. की इक्विटी शेयर पूंजी का 19.94% अधिग्रहण करना था। टी. सी. आई. एल. और टी. सी. आई. एस. आई. एल. द्वारा 'ओपन ऑफर' में एस. एच. आर. आई. एल. के सार्वजनिक शेयरधारकों से एस. ई. बी. आई. के नियमों और बाजार खरीद के संदर्भ में 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी की खरीद की जानी थी। टी. सी. आई. एस. आई. एल. ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीद के माध्यम से एस. एच. आर. आई. एल. के इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया

पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर इक्विटी शेयर पूंजी की 9.93% राशि। सार्वजनिक सूचना निम्नलिखित प्रभाव से प्रकाशित की गई थीः

" स्टर्लिंग हॉलिडे रिज़ॉर्ट (इंडिया) लिमिटेड

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड और स्टर्लिंग हॉलिडे रिज़ॉर्ट (इंडिया)

सीमित, विलय की घोषणा करें

विलय ने समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया और संयुक्त रूप से बढ़ती घरेलू और इनबाउंड यात्रा, अवकाश स्वामित्व का लाभ उठाया

& आतिथ्य के अवसर।

विलय के बाद, रमेश रामनाथन के नेतृत्व में स्टर्लिंग हॉलिडे रिसॉर्ट्स का संचालन जारी रहेगा

एक स्वतंत्र बोर्ड के साथ

इक्विटी निवेश और विलय अनुपात के आधार पर दोनों कंपनियों का कुल मूल्य लगभग Rs.3000 करोड़ है।

भारत का सांसद आयोग v. थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड। & एएनआर। [अरुण मिश्रा, जे।]

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड (टी. सी. आई. एल.)-भारत की अग्रणी एकीकृत यात्रा और यात्रा संबंधी वित्तीय सेवा कंपनी, और 27 - एक साल पुराना अवकाश स्वामित्व अग्रदूत, स्टर्लिंग हॉलिडे

रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड ने विलय की घोषणा की

आज की कंपनियाँ। लेनदेन के 2014 की चौथी तिमाही तक बंद होने की उम्मीद है, जो प्रथागत समापन शर्तों और आवश्यकतानुसार नियामक अनुमोदन के अधीन है। आंशिक इक्विटी, आंशिक विलय सौदा-अनुमानित मूल्य पर

Rs.870 करोड़। , एक बहु-चरणीय प्रक्रिया के रूप में संरचित हैः

→

टी. सी. आई. एल. समूह तरजीही आवंटन निवेश करेगा।

लगभग Rs.190 करोड़ के लगभग 23.24% के लिए। में

स्टर्लिंग।

टी. सी. आई. एल. समूह ने स्टर्लिंग से 23.63% हिस्सेदारी खरीदी

Rs.207 करोड़ के लिए शेयरधारक।

टी. सी. आई. एल. समूह खरीदारी के लिए एक अनिवार्य खुला प्रस्ताव देगा।

Rs.230 करोड़ के लिए स्टर्लिंग में 26 प्रतिशत तक हिस्सेदारी।

➜ टी. सी. आई. एल. समूह के पास अतिरिक्त 7.22% खरीदने का विकल्प है।

Rs.63 करोड़ के लिए शेयरधारकों से हिस्सेदारी।

विलय में टी. सी. आई. एल. के शेयर स्टर्लिंग शेयरधारकों को एक परिभाषित विनिमय अनुपात या 120 पर जारी किए जाएंगेः 100

विलय दोनों भागीदारों के लिए महत्वपूर्ण तालमेल लाता है-थॉमस कुक इंडिया के साथ स्टर्लिंग रिसॉर्ट्स के 16 में 19 रिसॉर्ट्स के नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करना-पूरे भारत में छुट्टियों के गंतव्य। कंपनी के पास 15 अतिरिक्त स्थल भी हैं जहाँ आने वाले वर्षों में नए रिसॉर्ट्स जोड़ने की योजना है।

दुनिया भर में 4000 से अधिक आर. सी. आई. से संबद्ध रिसॉर्ट्स में छुट्टियां बिताने के लिए। 25. टी. सी. आई. एल. के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव

2014. शेयर सदस्यता समझौता आदि और इसी तरह के संकल्प

टी. सी. आई. एस. आई. एल. और एस. एच. आर. आई. एल. द्वारा उत्तीर्ण। 26. यह स्पष्ट है कि धारा 6 (2)-2.2014 के तहत की गई अधिसूचना में विलय और [2018] 3 एस. सी. आर. के संबंध में अधिसूचित लेनदेन दिखाए गए थे।

एकीकरण। यह भी उल्लेख किया गया कि पार्टियों ने अधिसूचित लेनदेन को देखते हुए कुछ अन्य लेनदेन पर भी विचार किया है, वे इक्विटी शेयरों की सदस्यता, एस. पी. ए., खुला प्रस्ताव और बाजार खरीद थे। उपरोक्त आवेदन से ही यह स्पष्ट है कि ये सभी लेनदेन एक ही लेनदेन का हिस्सा थे और 14.2.2014 पर बाजार से खरीद के लेनदेन को सूचित करने से पहले भी, यह 10.2.2014 से 12.2.2014 के बीच पूरा किया गया था। यह स्पष्ट है कि बाजार में खरीद समग्र संयोजन का हिस्सा होने के नाते आयोग को नोटिस देने से पहले पूरी की गई थी। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 7.2.2014 ने स्पष्ट रूप से एसपीए को एक खुले प्रस्ताव के रूप में इंगित किया। संबंधित पक्षों के निदेशक मंडल ने उसी दिन बाजार खरीद को अधिकृत किया। सभी कथित लेन-देन आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक व्यवहार्य व्यावसायिक लेन-देन का हिस्सा हैं। 27. हालांकि एम. सी. ए., एस. ए., एस. पी. ए. और योजना, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में बाजार खरीद का कोई संदर्भ नहीं है, क्योंकि योजना उसी दिन तैयार की गई थी और तीनों कंपनियों ने उसी दिन प्रस्ताव पारित किया था। अन्य सभी अधिग्रहण उसी दिन किए गए थे। बाजार की खरीद के बीच संपन्न किया गया है

10.2.2014 12.2.2014 तक, जो समग्र संयोजन को अंतिम रूप देने के लगभग बाद है, ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि योजना और अन्य अधिग्रहणों के अभाव में बाजार में खरीदारी नहीं हुई होगी। यदि वे उसी योजना का हिस्सा नहीं थे जिसे उनके द्वारा 14.2.2014 पर आयोग को दायर किए गए नोटिस में संदर्भित नहीं किया गया होता। इस प्रकार, हमारे विचार में बाजार की खरीद स्वतंत्र नहीं थी और आंतरिक रूप से योजना और अन्य अधिग्रहणों से संबंधित थी।

28. दावा की गई छूट के सवाल पर आते हुए, बाजार की खरीद को देखते हुए एक संयोजन के रूप में योग्य नहीं है

लक्ष्य छूट अधिसूचना जो किसी उद्यम को छूट देती है यदि 'संपत्ति' का मूल्य भारत में आई. एन. आर. Rs.250 करोड़ से अधिक नहीं है या भारत में आई. एन. आर. Rs.750 करोड़ से अधिक का 'कारोबार' नहीं है। जब एक संयोजन को पूरा करने के लिए लेन-देन की श्रृंखला की परिकल्पना की जाती है, तो सभी लेन-देनों को होना चाहिए

आयोग द्वारा विचार में लिया गया, न कि एक अलग लेनदेन। हालांकि यह पक्षों के लिए एक विशेष तरीके से अपने लेनदेन की संरचना करने के लिए खुला है, लेनदेन का सार प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव का आकलन करने के लिए अधिक प्रासंगिक होगा, भले ही इस तरह के लेनदेन एक या अधिक कदम/लेनदेन के माध्यम से किए जाते हैं। लेन-देन की संरचना

इस तरह से अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि भारत प्रतिस्पर्धा आयोग के अनुपालन से बचा जा सके।

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड। & एएनआर। [अरुण मिश्रा, जे।]

अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान। अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह विचार करने के लिए खुला है कि क्या विशेष कदम एक व्यक्तिगत लेनदेन था या पूरे लेनदेन का हिस्सा था। यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में टी. सी. आई. एस. आई. एल. के रूप में स्पष्ट था

लेन-देन। इस प्रकार, बाजार की खरीद को स्वतंत्र लेनदेन नहीं कहा जा सकता था। 29. संयोजन विनियम के विनियम 9 (4) के प्रभाव के संबंध में प्रस्तुत करने पर आते हैं। यह स्पष्ट है कि वहाँ शक्ति है

विनियम 9 (4) के तहत उन चरणों की श्रृंखला द्वारा प्राप्त लेनदेन के अंतिम इच्छित प्रभाव पर विचार करने के लिए जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे पर निर्भर हैं, यह तथ्यों पर निर्भर करेगा और

एक संयोजन के लिए पक्षकारों द्वारा मामले की परिस्थितियों और एक एकल नोटिस दायर किया जा सकता है। विनियमन में इस बात की संभावना की परिकल्पना की गई है कि एक-दूसरे से जुड़े या एक-दूसरे पर निर्भर कदमों/लेनदेन के माध्यम से एक संयोजन द्वारा एक व्यावसायिक लेनदेन प्राप्त किया जा सकता है। एकल नोटिस दाखिल करने के प्रावधान को सक्षम करने का मतलब यह नहीं होगा कि किस विशेष तरीके से लेनदेन हुआ है, यह तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्धारित किया जाना है। बाजार की खरीद स्वतंत्र नहीं थी जिसे छूट के उद्देश्य से अलग से नहीं देखा जा सकता था। 30. विनियम 9 (4) का प्रावधान स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि व्यावसायिक लेन-देन आपस में जुड़ा हुआ है या

इस तरह के लेन-देन के परस्पर निर्भर कदम। एक समग्र संयोजन के लेन-देन के दो अलग-अलग चरणों को अलग करने के लिए तकनीकी व्याख्या अधिनियम की भावना और प्रावधान के खिलाफ होगी। बाजार में खरीदारी स्वतंत्र नहीं थी और इसका उपयोग किसी भी छूट के उद्देश्य से अलग से नहीं किया जा सकता था। विनियमन 9 (4) की व्याख्या सक्षम करने के लिए नहीं की जा सकती है।

आयोग को सूचना देने से पहले एक समग्र संयोजन द्वारा समाप्ति। यह अधिनियम के इरादे और उद्देश्य को और विशेष रूप से इसकी धारा 5 और 6 को विफल कर देगा।

31. यदि अंतिम वस्तुनिष्ठ परीक्षण लागू किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि बाजार खरीद उस योजना को ध्यान में रखते हुए की गई थी जिसे तैयार किया गया था। इस तरह से लेन-देन के सार को देखते हुए कानून का बाद का परिवर्तन भी उत्तरदाताओं के बचाव में नहीं आया। बाजार की खरीद संयोजन के एक ही लेनदेन का हिस्सा थी।

32. अंत में, निवेदन में कहा गया कि प्रतिवादी की ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी क्योंकि इस तरह का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था।

हम निवेदन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। मेन्स रिया मानता है

आपराधिक और अर्ध आपराधिक दायित्व के मामले में महत्व। धारा 43 ए के तहत जुर्माना लगाने के लिए, कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकती है यदि नागरिक कानून के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो इसके उल्लंघन पर जुर्माना सरलता से लगाया जाता है। जुर्माना लगाने की अनुमति थी और यह उचित रूप से लगाया गया था। दंड लगाने के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में धारा 43 ए के तहत पुरुष अधिकार या जानबूझकर उल्लंघन की कोई आवश्यकता नहीं थी। अधिनियम की धारा 43 ए लागू करने के उद्देश्य से "विफलता जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण होनी चाहिए" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करती है।

दंड की सजा। प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय है और उल्लंघन की प्रकृति को देखते हुए, यह जुर्माना लगाने के लिए खुला है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 253, नागरिक दायित्व का पालन करने में विफलता पर जुर्माना लगाने के संबंध में इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया हैः

" हमारी राय में, मेन्स रिया एक नागरिक अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। हमारे विचार में, अधिनियम द्वारा विचार किए गए वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन स्थापित होते ही जुर्माना लगाया जाता है और इसलिए,

इस तरह के उल्लंघन करने वाले पक्षों का इरादा बन जाता है

महत्वहीन है। दूसरे शब्दों में, एक नागरिक दायित्व का उल्लंघन जो एक अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंड को आकर्षित करता है, तुरंत जुर्माना लगाएगा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उल्लंघन चूककर्ता द्वारा किसी भी दोषी इरादे से किया गया था या नहीं। इसके अलावा जब तक कि क़ानून की भाषा पुरुषों के अधिकार के तत्व को स्थापित करने की आवश्यकता को इंगित नहीं करती है। आम तौर पर यह

यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि क़ानून का पालन करने में चूक हुई है। दंड का पालन करना होगा और केवल दंड की मात्रा विवेकाधीन है।

एक्स एक्स एक्स

हमारी सुविचारित राय में, वैधानिक दायित्व के उल्लंघन के रूप में एक दंड आकर्षित किया जाता है जैसा कि विचार किया गया है अधिनियम और विनियम स्थापित किए गए हैं और इसलिए इस तरह का उल्लंघन करने वाले पक्षों का इरादा पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाता है।

एक्स एक्स एक्स

हम यह भी मानते हैं कि जब तक कानून की भाषा पुरुषों की उपस्थिति स्थापित करने की आवश्यकता को इंगित नहीं करती है, तब तक यह भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग v है।

थॉमस कुक

(इंडिया) लिमिटेड। & एएनआर। [अरुण मिश्रा, जे।]

यह पता लगाने के लिए पूरी तरह से अनावश्यक है कि क्या ऐसा उल्लंघन किया गया था

इरादतन या नहीं। अधिनियम की धारा 15 (डी) (बी) और धारा 15-ई के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए यह आवश्यक हो कि

इन प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाने से पहले आर. ए. को साबित किया जाना चाहिए। इसलिए एक बार उल्लंघन स्थापित हो जाने के बाद दंड का पालन करना है। "

33. धारा 43 ए के तहत जुर्माना एक नागरिक दायित्व के उल्लंघन के कारण लगाया जाता है, और कार्यवाही न तो आपराधिक होती है और न ही अर्ध-आपराधिक; दंड का पालन करना पड़ता है। धारा 43 ए के तहत प्रावधान में केवल विवेकाधिकार दंड की मात्रा के संबंध में है।

34. हम पाते हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,

आयोग द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और उचित था और कानून के अनुसार था, जिसे न्यायाधिकरण ने गलत आधार पर अलग कर दिया था। इस प्रकार,

न्यायाधिकरण के आदेश को कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है। 35. केवल तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक करोड़ रुपये के कमीशन द्वारा नाममात्र का जुर्माना लगाया गया है।

मामला और यह कि प्रावधान का उल्लंघन हुआ था। इस प्रकार, हमें तत्काल मामले में लगाए गए नाममात्र के दंड में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

36. नतीजतन, आयोग द्वारा दायर अपील को अनुमति दी जाती है, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और आयोग द्वारा पारित किया जाता है।

एक करोड़ रुपये के जुर्माने को इसके द्वारा बहाल किया जाता है। कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी